

विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र

(1 जनवरी 1970 से पूर्व जनजाति उपयोजना क्षेत्र में निवासरत के लिए)

1. प्रार्थी/प्रार्थीया का नाम.....
2. पिता/पति का नाम
3. वर्तमान स्थायी पता.....
4. पिता/पति का मूल स्थान
5. पिता/पति का व्यवसाय
- (अगर पिता/पति राजकीय सेवा में है या राजकीय उपक्रम में कर्मचारी है तो प्रमाण पत्र सलगन करे)
6. पिता/पति के व्यवसाय का पता
7. जन्म स्थान गांव..... तहसील.....जिला.....
8. जन्म दिनांक.....
9. 1 जनवरी 1970 के पूर्व से निरन्तर निवास के निर्धारण हेतु निम्न अभिलेखों को आधार बनाया जा सकता है-
 1. मतदाता सूची की प्रति(वर्ष 1966 की)
 2. भू अभिलेखों की प्रति(01.01.1970 से पूर्व की जमाबन्दी की नकल आदि)
 3. इसके अतिरिक्त विश्वनीय अभिलेखीय प्रमाण ।
10. आपने किस कक्षा तक और कहां तक शिक्षा प्राप्त की (प्रमाण-पत्र सलगन)

प्रार्थी/प्रार्थीया का
फोटो (पासपोर्ट
साइज)

(अभिशांसा करने वाले
उत्तरदायी व्यक्ति से
फोटो सत्यापित करावे)

कक्षा/शिक्षा का विवरण	शिक्षण संस्था का नाम	स्थान
कक्षा 1 से 9वीं		
कक्षा 10वीं		
कक्षा 12वीं		
स्नातक		
स्नातकोत्तर		
अन्य		

11. स्वयं/पिता की अचल सम्पत्ति का विवरण मय स्थान -.....
- (अगर किराये के मकान में रह रहें है तो किरायानामा अभिलेख को आधार बनाया जा सकता है)
12. क्या राशन कार्ड बना हुआ है- हां/नहीं
13. राशन कार्ड जारी होने की दिनांक
14. क्या वर्ष 1966 की मतदाता सूची में स्वयं/पिता/दादा/पति का नाम है? यदि हां तो किसका एवं किस क्रम संख्यां पर .
15. आपका परिवार (पिता/दादा/पति) जनजाति क्षेत्र में कितने वर्षों से रह रहा हैं-
16. मोबाईल नम्बर(स्वयं का या अन्य का जिस पर प्रार्थना आवेदन सेसंबंधित सूचना चाहता है)
- महिलाओं के लिए :-
 1. क्या आप विवाहित हैं.....
 2. आपका विवाह कब और किसके साथ हुआ?.....
 3. क्या आपके पति राजस्थान के मूल निवासी है?.....
 4. आप अपने पति के साथ कब से एवं किस स्थान पर रहीं है?.....

मैं तसदीक करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

दिनांक.....
स्थान.....
सेवा में,

(प्रार्थी/माता-पिता /अभिभावक के हस्ताक्षर)
(प्रार्थी की उम्र 18 वर्ष से कम होने पर पिता/माता/अभिभावक के हस्ताक्षर)

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी,

प्रार्थी श्री/श्रीमती.....पिता/पति श्री.....जाति.....

... निवासी..... तहसील

जिला..... ।

विषय - विशेष मूल निवासी (टीएसपी) प्रमाण पत्र जारी रखने के सम्बन्ध में-
महोदय,

प्रार्थी का निवेदन निम्न प्रकार है-

1. यह कि प्रार्थी श्रीमान् के क्षेत्राधिकार का मूल निवासी होकर सामान्य/अन्यपिछडा वर्ग/अनु. जाति/अनु. जनजाति वर्ग के अन्तर्गत आता है।
2. यह कि आवेदन पत्र के साथ में मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि की प्रति संलग्न है।
3. यह कि भारत सरकार के राजपत्र के भाग-2 (खण्ड-3) उपखण्ड(1) 325 दिनांक 19 मई 2018 के आधार पर प्रार्थी जनजाति उप योजना क्षेत्र का स्थानीय निवासी है।
4. यह कि मेरे पिता/दादा के नाम वर्ष 1970 से पूर्व की जमाबन्दी संवत..... के खाता संख्या में अंकित कृषि भूमि की जमाबन्दी नकल संलग्न है।
5. यह कि मैं एवं मेरा परिवार एवं पूर्वज दिनांक 01.01.1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र (टीएसपी) में ग्राम..... ग्राम पंचायत..... में निरन्तर निवासरत होकर अन्य क्षेत्रों में पलायन नहीं किया है।
6. यह कि मुझे पूर्व में श्रीमान/तहसीलदार के कार्यालय से मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी किया गया था किन्तु मुझे भारत सरकार की टीएसपी क्षेत्र हेतु नवीन उक्त अधिसूचना दिनांक 19/05/2018 के तहत विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्क्ता है।
7. यह कि इस संबन्ध में 1 जनवरी 1970 से पूर्व की जमाबन्दी नकल/मतदाता सूची/पट्टा/बिजली कनेक्शन का बिल/राशनकार्ड/मतदाता परिचय पत्र/अन्य रिकार्ड श्रीमान की सेवा में सादर प्रस्तुत है।

अतः मुझे भारत सरकार की राजपत्र के भाग-2 (खण्ड-3) उपखण्ड(1) 325 दिनांक 19 मई 2018 के तहत नवीन विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने की कृपा करावें।

दिनांक.....

(प्रार्थी/माता-पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर)

स्थान.....

(प्रार्थी की उम्र 18 वर्ष से कम होने पर

पिता/माता/अभिभावक के हस्ताक्षर)

संलग्न :-

01. प्रार्थी व उसके पिता के मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार व राशन कार्ड की छायाप्रति ।
02. पारिवारिक सजार बाबत प्रार्थी/पिता/माता/अभिभावक का शपथ पत्र ।
03. वर्ष 1966 की मतदाता सूची की छायाप्रति ।
04. शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति ।
05. 1 जनवरी 1970 से पूर्व की जमाबन्दी नकल (यदि तत्समय कृषि भूमि धारित हो तो)
06. टीएसपी क्षेत्र का सदभावी निवासी होने बाबत प्रार्थी/पिता/माता/अभिभावक का शपथपत्र ।
07. विवाहित महिला हेतु पति को जारी टीएसपी प्रमाण पत्र की प्रति ।
08. विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु शपथ पत्र ।

नोट:-

01. आवेदन पत्र पर नवीनतम फोटो जिसे आवेदन पत्र पर दिये गये स्थान पर चिपकायें (स्टेपल नहीं करना हैं) तथा उसे अभिशंषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करावें ।
02. आवेदन पत्र में दिये गये शपथ पत्र को अभिशंषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करावें ।
03. 01 जनवरी 1970 के पूर्व से निरन्तर निवासरत होने के प्रमाण का दस्तावेज/भू-अभिलेख की प्रति/मतदाता सूची/ अन्य विश्वसनीय दस्तावेज/राशन कार्ड/अचल सम्पति के मालिकाना हक संबंधी/किरायानामा/ गैस कनेक्शन/बिजली-पानी बिल/शिक्षा प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति ।
04. दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र यथा - संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/राजपत्रित अधिकारी/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद सदस्य/सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी/पटवारी/विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य/संबंधित पी.एच.सी. के डॉक्टर/बीट प्रभारी(पुलिस) आदि ।

दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण-पत्र

मैंपुत्र श्री निवासी
 राजकीय सेवा में पदपर कार्यरत हूँ एवं शपथपूर्वक बयान करता हूँ
 कि प्रार्थी/प्रार्थीया श्री/श्रीमती/सुश्री.....पुत्र/पुत्री श्री..... निवासी.....
 को भली प्रकार से जानता हूँ तथा इनका परिवार 01 जनवरी 1970 से पूर्व से जनजाति उपयोजना
 क्षेत्र में स्थित उक्त निवास स्थान ग्राम ग्राम पंचायत
 राजस्थान में निरन्तर निवास कर रहा है तथा कहीं अन्य. पलायन नहीं किया है।

दिनांक

हस्ताक्षर मय मोहर प्रथम उत्तरदायी व्यक्ति

स्थान

मैंपुत्र श्री निवासी
 राजकीय सेवा में पद पर कार्यरत हूँ एवं शपथपूर्वक बयान
 करता हूँ कि प्रार्थी/प्रार्थीया श्री/श्रीमती/सुश्री.....पुत्र/पुत्री श्री.....
 निवासी को भली प्रकार से जानता हूँ तथा इनका परिवार 01 जनवरी 1970 से पूर्व से जनजाति
 उपयोजना क्षेत्र में स्थित उक्त निवास स्थान ग्राम ग्राम पंचायत
 राजस्थान में निरन्तर निवास कर रहा है तथा कहीं अन्य. पलायन नहीं किया है।

दिनांक

हस्ताक्षर मय मोहर द्वितीय उत्तरदायी व्यक्ति

स्थान

रिपोर्ट पटवारी हल्का तह..... जिला.....

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती/सुश्री..... पिता/पति
का नाम श्री.....
..... जाति निवासी
पटवार मण्डलतहसील जिला.....

..... राज. में 01 जनवरी 1970 के पूर्व से निरन्तर निवास कर रहा है,
जिसके दस्तावेजी अभिलेख निम्नानुसार है -

01. पंचायत समिति / नगरपालिका मतदाता सूची वर्ष 1970 से पूर्व की ग्राम पंचायत / कस्बा
..... वार्ड नम्बर क्रम. संख्या पर प्रार्थी के
..... श्री का नाम दर्ज है।
02. विधानसभा मतदाता सूची वर्ष 1966 विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्य.....
..... के क्रम संख्या..... पर प्रार्थी के श्री..... का
नाम दर्ज है।
03. राजस्व रिकार्ड में संवत् की जमाबन्दी के पटवार मण्डल.....
..... के ग्राम के खाता संख्या पर किता रकबा
..... प्रार्थी के श्री/श्रीमती के नाम दर्ज है।
04. प्रार्थी के स्वयं/पिता/दादा का पक्का/कच्चा मकान ग्राम/कस्बातहसील
..... में स्थित है और तकरीबन वर्ष पूर्व बना हुआ है।
05. यह कि प्रार्थी द्वारा आवेदन कि साथ और स्वयं और पिता के आधार कार्ड, राशन कार्ड की प्रति संलग्न
की है।
06. शैक्षणिक अध्ययन का प्रमाण पत्र कक्षा 1 से अन्त तक।
07. शपथ-पत्र नोटेरी द्वारा सत्यापित।
08. अन्य विश्वसनीय अभिलेखीय प्रमाण पत्र

उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी/प्रार्थीयां का परिवार 1 जनवरी 1970 के पूर्व
से उपरोक्त वर्णित पते पर निरन्तर निवास कर रहा/रही है तथा उपरोक्त वर्णित पते से कहीं अन्यत्र
पलायन नहीं किया है।

अतः विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

हस्ताक्षर पटवारी
पटवारी मण्डल

(राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2015 से नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित कराने की व्यवस्था को समाप्त कर स्वयं द्वारा दस्तावेजों को प्रमाणित करने की व्यवस्था की है)

(शपथ पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 183 के अधीन तीन वर्ष तक का कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय है।)

शपथ पत्र

(बालिग होने की दशा में स्वयं द्वारा)

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री..... निवासी

राजस्थान का होकर शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि -

1. यह कि मैं गांव..... तहसील..... का मूल निवासी हूँ।
2. यह कि मैं वर्तमान से उक्त पते पर निवास कर रहा हूँ।
3. यह कि मेरी समस्त शिक्षा गांव/तहसील/शहर की है।
4. यह कि मैंने अभी तक अपना विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र भारत वर्ष के किसी भी स्थान से नहीं बनवाया है।
5. यह कि यह शपथ पत्र अपना विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ।
6. यह कि मेरा परिवार राजस्थान के जनजाति उपयोजना क्षेत्र के क्षेत्रग्राम पंचायत में 1 जनवरी 1970 के पूर्व से निरन्तर रह रहा है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

स्थान

दिनांक

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में वर्णित समस्त तथ्य सत्य एवं सही है एवं ईश्वर मेरा साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

(अभिशांषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर मय मोहर)

(राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2015 से नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित कराने की व्यवस्था को समाप्त कर स्वयं द्वारा दस्तावेजों को प्रमाणित करने की व्यवस्था की है)

(शपथ पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 183 के अधीन तीन वर्ष तक का कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय है।)

शपथ पत्र

(नाबालिग होने की दशा में पिता/अभिभावक द्वारा)

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री..... निवासी

राजस्थान का होकर शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि -

1. यह कि मैं गांव..... तहसील..... का मूल निवासी हूँ।
2. यह कि मैं वर्तमान से उक्त पते पर निवास कर रहा हूँ।
3. यह कि मेरी समस्त शिक्षा गांव/तहसील/शहर की है।
4. यह कि मैंने कभी भी अपने पुत्र/पुत्री का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र भारत वर्ष के किसी भी स्थान से नहीं बनवाया है।
5. यह कि यह शपथ पत्र अपने पुत्र/पुत्री का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ।
6. यह कि मेरा परिवार राजस्थान के जनजाति उपयोजना क्षेत्र के क्षेत्रग्राम पंचायत में 1 जनवरी 1970 के पूर्व से निरन्तर रह रहा है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

स्थान

दिनांक

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में वर्णित समस्त तथ्य सत्य एवं सही है एवं ईश्वर मेरा साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

(अभिशांषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर मय मोहर)

(राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2015 से नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित कराने की व्यवस्था को समाप्त कर स्वयं द्वारा दस्तावेजों को प्रमाणित करने की व्यवस्था की है)

(शपथ पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 183 के अधीन तीन वर्ष तक का कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय है।)

शपथ पत्र
(विवाहित महिलाओं के लिए)

मैं..... पत्नी/श्री..... निवासी

राजस्थान के जनजाति उपयोजना क्षेत्र की सदभावी निवासी होकर शपथपूर्वक बयान करता हूं कि -

1. यह कि मैं विवाह पश्चात उपरोक्त पते पर निरन्तर निवास कर रही हूं।
2. यह कि मेरे पति राजस्थान के मूल निवासी है।
3. यह कि मैंने अभी तक अपना विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र भारत वर्ष के किसी भी स्थान से नहीं बनवाया है।
4. यह कि यह शपथ पत्र अपना विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने हेतु प्रस्तुत कर रहा हूं।
5. यह कि मेरे पिता राजस्थान के जनजाति उपयोजना क्षेत्र के क्षेत्रग्राम पंचायत के सदभावी मूल निवासी है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

स्थान

दिनांक

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करता/करती हूं कि उक्त शपथ पत्र में वर्णित समस्त तथ्य सत्य एवं सही है एवं ईश्वर मेरा साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

(अभिशांषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर मय मोहर)

(नोट - विवाहित महिलाओं के लिए पति का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रतिलिपी संलग्न करे)

शपथ पत्र

मैं पिता आयु पेशा.....निवासी ग्राम

..... तहसीलजिला

..... राज. शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूं कि -

1. मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूं कि मैं ग्राम का/की होकर मेरा गांव टी.एस.पी. क्षेत्र में आता है तथा मेरा परिवार पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से ग्राम के निवासी होकर सजरा निम्न प्रकार है :-

.....
.....
.....
.....

2. मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूं कि मुझे टी.एस.पी. मूल निवास प्रमाण पत्र शपथ के आधार पर जारी किया जावे। उक्त शपथ पत्र के आधार पर प्रमाण पत्र दिया जाने की स्थिति में उक्त प्रमाण पत्र बाबत भविष्य में कोई भी उजर विवाद होगा तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

दिनांक -

हस्ताक्षर

मैं पिता आयु पेशा.....निवासी ग्राम

..... तहसील जिला राज. यह

प्रमाणि करता/करती हूं कि उक्त शपथ पत्र में दिए गए सभी तथ्य मेरे निजी ज्ञान से सत्य अंकित हैं।

दिनांक -

हस्ताक्षर